न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 81/2021

1 मनीराम पुत्र स्व पोखर उम्र 71 साल जाति जाट निवासी बास बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 नरेन्द्र पुत्र तेजसिंह आयु 37 साल जाति जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 गिरधारी पुत्र स्व. पोखर आयु 67 साल जाति जाट निवांसी बास बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राज.।
4 उप पंजीयक झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट. 1955 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2014 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.04.2014 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू दावा उनवानी नरेन्द्र बनाम गिरधारी वगै. दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मु.नं. 223/2014(2013)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 223/2014(2013) में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2014 व 11.04.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा अपीलान्ट के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस दावे में अपीलान्ट की सम्यक तामील नहीं होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.10.2013 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 की अनुपस्थिति में इस प्रकरण में दिनांक 07.02.2014 को प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 11.04.2014 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (अपीलान्ट) की कभी भी तामील नहीं हुई। उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की तामील हेतु जारी किये गये समन की पुश्त पर यह स्पष्ट अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलान्ट मनीराम घर पर उपस्थित नहीं मिला। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 की औरत मिली जो कि एक अनपढ़ महिला है जिसने अनपढ़ होने के कारण नोटिस लेने से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

इंकार कर दिया। उपरोक्त समन की पुश्त पर जो हस्ताक्षर प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी के किये गये है वो हस्ताक्षर प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी के नहीं है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में प्रतिवादीगण के समन चस्पानगी के बारे में कोई भी आदेश नहीं किया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसके बावजूद भी वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तामील कुनिन्दा के साथ साज करके दिनांक 09.09.2013 को प्रतिवादी संख्या 2 के खुले मकान पर नोटिस चस्पा करना अंकित करवाकर प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट की नियम विरूद्ध तामील करवा कर विचारण न्यायालय को गुमराह किया है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2014 खरिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट की तामील हेतु जो समन प्रतिवादी संख्या 2 के खुले मकान पर चस्पा किये जाने बताये है उन पर उस राजस्व ग्राम में निवासरत कोई स्थानीय व्यक्ति होने चाहिए जो कि दोनों पक्षकारों को जानते हो, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट के समन की पुश्त पर जिन दो गवाहों के हस्ताक्षर है वे प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट के ग्राम से करीब 40 किलोमीटर दूर के है जिनका प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है तथा ना ही वे प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट को जानते है। यहां यह भी संदेहास्पद है कि 40 किलामीटर दूर से कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के गवाह बनने क्यों आयेगा जबकि बास बुडाना में प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट के आस पास के लोंगो को भी आसानी से गवाह बनाया जा सकता था। अतः स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबुझकर तामील कुनिन्दा को अपने प्रभाव में लेकर प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट की चस्पानगी तामील करवाई है ताकि प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट को उपरोक्त प्रकरण की जानकारी ना हो तथा वो न्यायालय को गुमराह कर अपनी मर्जी अनुसार वाद डिक्री करवा सके। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद मौके पर जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया उस पर भी प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

हस्ताक्षर नहीं है। अतः स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय को गुमराह किया है एवं मौके पर कोई विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। अतः इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2014 खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने बिना सम्यक तामील के प्रतिवादी संख्या 2/अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय एवं प्रक्रियात्मक विधि के सिद्धान्तों की पालना नहीं की है। अतः इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2014 खारिज होने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.04.2014 के विरूद्ध एक ही अपील दिनांक 22.10. 2021 को प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा घोषणा व विभाजन की प्राथमिक डिक्री को पृथक से चुनौती नहीं दी गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की एकसाथ अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के भाई गिरधारी की उपस्थिति रहीं है। उनके द्वारा विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील चस्पांदगी से हुई है। विचारण न्यायालय की प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा अपीलांट के भाई गिरधारी की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है विभाजन प्रस्ताव पर गिरधारी के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
सीकर

पारित किया है। अपील द्वारा प्रस्तुत अपील 7 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.04.2014 के विरूद्ध एक ही अपील दिनांक 22.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा घोषणा व विभाजन की प्राथमिक डिक्री को पृथक से चुनौती नहीं दी गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की एकसाथ अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के भाई गिरधारी की उपस्थिति रहीं है। उनके द्वारा विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील चस्पांदगी से हुई है। विचारण न्यायालय की प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा अपीलांट के भाई गिरधारी की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है विभाजन प्रस्ताव पर गिरधारी के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपील द्वारा प्रस्तुत अपील 7 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर